न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़

मुकदमा नम्बर 18 / 2021 — निर्णय दिनांक 12.02.2021

मानसिंह पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी बनमदोरी तहसील फतेहाबाद जिला फतेहाबाद (हरियाणा)

— प्रार्थी —

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

— अप्रार्थी —

उपस्थिति:–

1. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक वादी
2. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू. अधिनियम

यह प्रार्थना पत्र मान सिंह ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी गांव बनमदोरी तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा) का मूल निवासी है जिसकी पूर्व में रही संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1005 तादादी 10.18 हैक्टेयर वाकेरोही पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित रहे है। प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1757/1005 तादादी 2.5450 हैक्टेयर रोही पूनरासर में स्थित है। खेत खसरा नम्बर 1005 की भूमि की पेमाईश हेतु सन् 2017 में नियमानुसार अप्रार्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर पेमाईश शुल्क राशि जमा करवाई थी जिसकी रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा 04.12.2019 को प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट में हल्का पटवारी द्वारा खसरा नम्बर 1005 की कोई सीमां कायम कर पत्थरगढ़ी नहीं की, केवल खाना पूर्ति कर आधी अधुरी रिपोर्ट प्रार्थी की अनुपस्थिति में तैयार कर प्रस्तुत कर दी जिसमें कहीं भी खसरा नम्बर 1005 की सीमां कायम करने व पत्थरगढ़ी करने का उल्लेख नहीं है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1005 के पूर्व खातेदार से खरीद कर खाता विभाजन करवा लिया परन्तु प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमां पत्थर आदि लगाकर कायम नहीं होने से प्रार्थी को अपनी भूमि में विकास कार्य, सुधार कार्य करने में असुविधाये हो रही है। प्रार्थी द्वारा बार बार निवेदन करने पर भी राजस्व नक्शा अनुसार प्रार्थी के खातेदारी भूमि का सीमां ज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी अप्रार्थी द्वारा नहीं करवाई जा रही है। अप्रार्थी का यह कानूनी व राजस्व अधिनियमों के तहत प्रार्थी की खातेदारी भूमि का सीमांज्ञान करवाकर सीमां की निशानदेही स्थापित करने का दायित्व है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार सीमां की निशानदेही व पेमाईश का शुल्क अप्रार्थी को जमा करवा दिया तथा बार बार निवेदन करने पर भी इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई। दिनांक 08.01.2021 को प्रार्थी ने अप्रार्थी के कार्यालय में जाकर फिर से निवेदन किया कि करीब एक साढे तीन साल से अधिक का समय हो गया है फिर भी आप मेरी खातेदारी भूमि का सीमांज्ञान कर निशानदेही बताकर [illegible] है जिस कारण मुझ प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं की [illegible] करने में भारी असुविधा हो रही है, तब अप्रार्थी ने कहा कि [illegible] नहीं है। यही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आधार व कारण है। प्रार्थी के पास [illegible] खेत की पेमाईश करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। अप्रार्थी राजस्व रिकार्ड का संधारणकर्ता व प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पेमाईश व सीमां की निशानदेही करने के लिए नियमानुसारबाध्य है फिर भी अप्रार्थी जानबूझकर अपने राजकीय व कानूनी दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, इसलिए राज्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:06:07 IST
Reason: SelfAttested

श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

सरकार को जरिये तहसीलदार आवश्यक पक्षकार है। वर्णित खेत रोही ग्राम पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के खेत खसरा नम्बर 1757/1005 तादादी 2.5450 हैक्टेयर भूमि बाबत यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी न्यायालय श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है जो पूर्ण न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1757/1005 तादादी 2.5450 हैक्टेयर रोही पूनरासर श्रीडूंगरगढ़ की पेमाईश करवाई जाकर पत्थरगढ़ी करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जाकर आदेशानुसार पालना अप्रार्थी से करवाई जावे। श्रीमान्‌जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि खसरा नम्बर 1005 का संयुक्त खातेदारो का सीमाज्ञान आवेदन पर करवाया जा चुका है। खसरा विभाजित होने के पश्चात् खसरा नम्बर 1757/1005 का सीमाज्ञान नही करवाया गया है व न ही इस कार्य हेतु आवेदन किया गया है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में कोई आपति नही होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खाता संख्या 878 नया 665 पुराना खसरा नम्बर 1757/1005 रकबा 2.5450 हैक्टेयर रोही ग्राम पुनरासर की प्रार्थीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को 1000/-रू. की कोस्ट पर मौका कमिशनर नियुक्त किया जाता है। फीस कमिशनर प्रार्थीगण द्वारा वहन की जावेगी। तहसीलदार श्रीडूंगरढ नियमानुसार राशि राजकोष में प्रार्थीण से जमा कर भूमि की पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील पूर्ति नम्बर से कम होकर दखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:06:07 IST
Reason: SelfAttested